

कागँड़लय,
संचिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - पारिषिप / परिवर्त लान्चडाटा / 2020 / 1973

અધ્યાત્મ દિનાંક 15-9-2020

—कार्यलय शास्त्र—

अधिक नामसंकेत लिखा सरियाद नहीं हिन्दू/पुराणी भाष्यकारों द्वारा अनियमित भौतिक नाम हिन्दू 2020-21 शुभ वर्षाना तथा उक्तनामी विषय संबंधित को अध्ययन एवं प्रश्नोत्तर जैसे विषयों में विस्तृत विद्या अधिकारी कार्यक्रम वे सम्बद्धान/सम्बद्धान विषयां प्राप्ति लेने के लिए शुभ विषयां 14-५-2020 तक अपनी विद्यालय विद्या प्रशिक्षण एवं अध्ययन की अधिकारी ने परिवर्त जागरूकता में विद्यालय एवं शुभ वर्ष 2020-21 शुभ वार्षिका नहीं सम्बद्धान एवं सम्बद्धान सुन सहित लाभ सुने। विद्या प्रशिक्षण/विद्यालय/विद्यालयों द्वारा साइड एवं नदी पर विद्यालय विद्यालय शुभ वर्ष 2020-21 शुभ सम्बद्धान प्राप्ति लिए

जन्म = शुक्रवार में जलसूखा संभिति की विद्युत के मह-उत्तर विलोम इन पार्श्वरी पाठ्यक्रम संधानिक छात्रों द्वारा दी गयी अस्तित्व संकलनी का प्रपत्रण रखा गया। अस्तित्व संभिति हीरा तात्पर्य प्रियार-दिभाग यह विषयात् विस्तृत है।

निम्नी लिखे हैं लापता दिवसोंमा इन वार्षिकी प्रदर्शकमा संवादित करने वाली गतिवाया, जो प्रारंभिक विद्या परिवहन उपलब्ध लखनऊ से पूर्व से रामबद्द है। एवं जन 2020-21 हेतु पीएसीओआई० ग्राह उपर्युक्त संस्थाएँ अनुमोदन विद्यालय प्रदान किया जाता है। इन संस्थाओं ने गोलीसीधार्ड० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विद्यालय के अनुसार उपर्युक्त नाम से उम्मीद अधिकारी पासफ्रॉन्ट/प्रैक्टिशन वापता के बाब्प सम 2020-21 हेतु परिवहन से सम्बद्धता कियावार प्रदान किये जाने पर अनिवार्य द्वारा विद्यार्थी-प्रिया किया जाया एवं सर्वानुचित से पीएसीओआई० ग्राह घटता अनुमोदन विद्यालय के अनुसार में सम 2020-21 हेतु परिवहन से सम्बद्धता विद्यालय द्वितीयां का गिराव दिया जाया।

मित्र २४-०८-२०१३ की अदाय जमकरा तभीत तो बेट्टा मे लिए २०० रुपएका गिर्द के जगह ने उसका ना प्रतीकृत किया। ऐसी २०० प्र० अवधि का वापस २०२०-२१ के भूमिकैला नाम के ताबों परायाहम एवं

प्र० सं	संक्षि प्त	संस्था का नाम	प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन दरता अनुसंधान प्रबोध हास्य	प्रतिवेदन दरता अनुसंधान प्रबोध हास्य
१	आम	संस्कृत अधिकारी और प्राचीन शिल्प एवं जीव-विज्ञान	विज्ञान इन जारी	५०	५०

新編藏經

जान्म आवासम् दीप्ता। नीरा निराकृष्णा वर्षीयी द्वारा यादि-नाम २०२०-२१ श्रुति पर्याप्त अनुसन्धान विषय के लिए जीवित और व्यापक दर्शन दिया गया है।

Find myself first

प्राचीन- प्राचिन / परिषद जाम्बुला / 2020 / १९७२-३४३

第15章-15-2020

• शिविर-प्राचीन/रिटायरमेंट सेवा: इसके अलावा उनकी शिविर-प्राचीन सेवा

卷之三

卷之三

सचिव, प्रतिपिक्त लिंगा प्रतिकृ

• १०८ •

संक्षेप - प्राचीन परिवहन संवर्धन (2021/3513)

प्रकाशक: दिनांक: 09/01/2024

• 二十一世紀

अधिनियम अनुसार लक्ष्मीपुरी तिका परिषद, नई दिल्ली शासनीय काउन्सिल अधिक हुनिया, नई दिल्ली दला गोपनीय सर 2021-22 हेतु ग्रामीण लक्ष्मीपुरी तिका परिषद लक्ष्मीपुरी को मानवोंदेव प्रदान किए जाएँ : अपराध प्रतिपादित तिका परिषद, उपराठ लक्ष्मीपुरी तिका परिषद, उपराठ लक्ष्मीपुरी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पदान तिका जारी हेतु दिल्ला-०५८४४-२०१। यो परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक तामन्तु हुई। बैठक में समिति दला गोपनीय सर 2021-22 हेतु आमंदिर नई लक्ष्मीपुरी को सम्बद्धता प्रदान के लिये सम्बद्धता सेस्ट्याडी को सम्बद्धता विस्तार/ पालमपाल/ प्रोश कामता वृद्धि समिति भूम्य भर्ती पर किया। करते हुए दला 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का विरोध किया गया।

संस्कृता सामिति की बैठक में जिसे दर्ये जिरोह के उन्नीसम में निम्न संस्था को प्राप्तिहिक लिंगा प्राप्तिष्ठा, 30 प्र० सखनक द्वारा सन् 2021-22 तक निम्नालिखी संस्था के अधीन पाइएगम एवं उसी अधिकार प्रतीक्षा करता है तथा भवित्वात् विकास प्रदान की जावी ।

संस्था का गोड़ पाठ्यानम : 4015-SAINIK COLLEGE OF PHARMACY,VILLAGE-4,GOVINDPURA, JALGAON.

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	एडिलेंटीलीडीपी फैलोशिप इवारा सर 2021-22	परिषद द्वारा सर 2021-22
1 DIPLOMA IN PHARMACY	22 हेतु अनुमोदित परीक्षा कागजता	60	अनुमोदित परीक्षा कागजता

行文規範

- विद्या विभाग, प्राक्तिक-सिपाही निपटाताम एवं प्राक्तिक विद्या विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद-दायर लिया जाता है तथा दायर वाद के संपर्क में नहीं ज्ञातकरण द्वारा किसी प्रभाव तो प्रतिपूर्ति साथी आदेश लिया जाता है तो समस्त विभागीय संबंधित संस्थाएँ को बतायी होगी।
- उपलेख इन संस्थानी भागुक्तम लघुलिख कठाने काली संस्थाएँ को सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए जारीजित परीक्षा विधिक हेतु जातिजातीय प्रत्यक्ष ग्राम के पूर्वी विधायिकाओं से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्योलय तो उपलब्ध कराया द्वारा अन्वरण उन्होंनी प्रतिक्षा की। स्थानिकियों के गांधीजी से अपना सम्मान स्वरूप वर्ष सीधे प्रवेश अनुपाती नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश राजताल द्वारा प्राप्त हेतु नियोजित भवीनदाम आवश्यक विधमी का अनुपात्ति कार्यालय आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठें भूमि, स्थाप, साक्षरता, उपकरण, प्राप्ति लिया जाने वाली शुल्क, उत्तराधारी शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
 - ✓ संस्था को लिंगण-प्रतिकान हेतु उपर्युक्त सत्रावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐच्चिक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवहारों का नियमित कराया जायेगा।
 - ✓ संस्था यह सुनियित हो ते कि संस्था में प्रस्तावित/ गणपति वापसीकरण के लकड़े जाने हेतु नियोजित जमिति के समान उपलब्ध कराये गए अधिनियम, अधिनियम, अधीनियम, उपकरण इत्यादि का लकड़ि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संबंधित में प्रयोग किया जाता है और परिषद ने इसकी अनुमती होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तराधारी संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोधा की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्वतीय नियोजन दीयत यादि संस्था में शुभ्रा, अठन, एयोगधारा, उपकरण एवं अन्य साक्षरता एवं विधायिकाओं/विधायिकाओं/ प्राप्ति के साक्षात्कार उपलब्ध जरी रखा जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
 - ✓ संबद्धता रखने का अनुपात्ति ने लिया जाने अवधा रात्रि कुरु उपलब्ध लिये जाने की स्थिति में लियतानुसार अनुसासनान्वयन करायेगी जो जायेगी।

(सुनील कुमार सीनकर)

संस्था

पृष्ठां- प्रशिक्षणपरिषद सन्वदता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

परिवर्तित-

प्रपालाधारी/निदेशक, SAINIK COLLEGE OF PHARMACY VILL & POST-TAJOPUR MAU-275101



(सुनील कुमार सीनकर)

संस्था

कार्यालय

उत्तर प्रदेश लखनऊ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

तिथि: दिनांक: 27/09/2022

कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय लक्नीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा गोप्तिक सत्र 2022-23 हेतु डिल्ली सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4015-SAINIK COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा नियोजित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, समस्त विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर नियंत्रण सासनादेशों का अनुपालन करेगी। तथा शुल्क नियायिक समिति द्वारा नियोजित शुल्क दीन वर्षीय हजारी पाठ्यक्रमों हेतु रुपय 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रुपय 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रुपय 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा नियंत्रण किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फौस नियायिक समिति द्वारा घोषित सत्र 2022-23 हेतु फौस का पुरानीपारण किया जाता है, तो फौस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में सम्बुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आविष्ट छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की समय-समय पर नियंत्रण सासनादेश के अनुसार नियोजित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रण विभि/नियमों/भौतिक विभि/शासनादेशों/नियंत्रणों एवं नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं नियंत्रणों का पालन करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और निधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था ओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लड़नऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रतेक की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर)सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम भारक्षण नियमों का अनुपालन करना बाधकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित धार्यक्रम को बलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य धार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसको जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के ओवक स्पलीग निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ०आर० खान)
 (एफ०आर० खान)

सचिव

प०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/09/2022

प्रतिलिपि:-
 प्रधानाचार्य/निदेशक, SAINIK COLLEGE OF PHARMACY

(एफ०आर० खान)

सचिव